(-10)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 7032–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 9–2–2016 पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला ग्वालियर, प्रकरण कमांक 22/सी–132/2015–16/धारा 49–50.

श्रीमती कीर्ति कुशवाह पत्नि श्री विजय राम कुशवाह,
निवासी करहिया तहसील चीनौर जिला ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

कार्यालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प
(जिला पंजीयक)जिला ग्वालियर

.....अनावेदक

श्री मुकेश भटेले, अभिभाषक, आवेदक
श्री बी0एन0त्यागी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/5/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–2–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके द्वारा नगर पालिका डबरा स्थित दुकान रुपये 2,58,000/– में कय कर रुपये 29,930/– के मुद्रांक पत्र पर विकय पत्र निष्पादित कर पंजीयन हेतु उपपंजीयक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, परन्तु उपपंजीयक द्वारा पंजीयन से इंकार कर दिया गया है इसलिये रुपये 23,00,930/–

आवेदक को वापिस किये जाये । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा उक्त आवेदन पर कार्यवाही नहीं करने से आवेदिका द्वारा महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश भोपाल एवं मुख्यमंत्री को शिकायत की गई साथ ही माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की गई । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दो माह में प्रकरण का निराकरण किये जाने के निर्देश कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को दिये गये । तद्नुसार कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा दिनांक 9–2–16 को आदेश पारित कर इस निष्कर्ष के साथ आवेदिका का आवेदन पत्र निरस्त किया गया कि अधिनियम की धारा 50(1)(2)(3) के अनुसार निर्धारित समयावधि के बाहर होने तथा 9 खण्ड(ख) के तहत वर्णित तथ्यों के प्रकाश में आवेदन पत्र रिफण्ड की श्रेणी में नहीं आता है । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 6–4–17 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि उभयपक्ष एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उनके द्वारा नियत अवधि में लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । अतः प्रकरण के निराकरण में आवेदक के निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों पर विचार किया जा रहा है । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा आवेदन अवधि बाह्य मानने में भूल की गई है क्योंकि आवेदिका की ओर से छह माह के भीतर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है ।

(2) कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का यह निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है कि आवेदन पत्र दिनांक 24–9–15 को प्रस्तुत किया गा है । आवेदिका का विक्रय पत्र उपपंजीयक द्वारा दिनांक 10–12–2013 को पंजीयन से इंकार किया गया है और छह माह के भीतर दिनांक 25–1–2014 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है ।

(3) कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा दिनांक 25–1–14 को आवेदन पत्र लेने से इंकार कर दिये जाने के तथ्य का खण्डन उनके द्वारा नहीं किया गया है इसलिये आवेदन पत्र दिनांक 25–1–14 को प्रस्तुत होना माना जायेगा ।

(4) कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 6–8–15 से समय सीमा की गणना करने में त्रुटि की गई है ।

(5) कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा आवेदन पत्र अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 25–1–14 को प्रस्तुत होना मान्य करते हुये दो माह में निराकरण के निर्देश कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को दिये गये हैं ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश विधिवत् होने से निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदक की ओर से तर्क के दौरान दिनांक 18–2–2014 को कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करना बतलाया गया है । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के प्रकरण में आवेदन पत्र की फोटोप्रति संलग्न है वह भी उन्हें दिनांक 24–9–2015 प्राप्त होना परिलक्षित होता है । आवेदक द्वारा इससे पूर्व कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष कब आवेदन पत्र आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है इसका कोई प्रमाण (रसीद) प्रस्तुत नहीं की गई है । आवेदक की ओर से दिनांक 25–1–14 को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना माननीय उच्च न्यायालय को बताया गया है, जबकि ऐसा कोई आवेदन पत्र पंजीयक के प्रकरण में संलग्न होना नहीं पाया जाता है। अतः कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, इसलिये कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–2–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर